राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 94/2019

ओमप्रकाश पुत्र रामकुवार जाति मीणा निवासी ढाणी शीशराम काली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. सतवीर पुत्र रामकुवार उम्र 21 वर्ष जाति मीणा निवासी ढाणी शीशराम काली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कमला पुत्री रामकुवार पत्नी मातादीन उम्र 28 वर्ष जाति मीणा निवासी हाल आबाद भगवानपुरा पोस्ट चिपलाटा वाया गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
3. पतासी पत्नी रामकुवार उम्र 60 वर्ष जाति मीणा निवासी ढाणी शीशराम काली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. बिमला पुत्री रामकुवार पत्नी पूरणमल उम्र 25 वर्ष जाति मीणा निवासी हाल आबाद भगवानपुरा पोस्ट चिपलाटा वाया गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
5. मन्जू पुत्री रामकुवार पत्नी महेन्द्र उम्र 23 वर्ष जाति मीणा निवासी हाल आबाद भगवानपुरा पोस्ट चिपलाटा वाया गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
6. शकुन्तला पुत्री रामकुवार पत्नी साधुराम उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी हाल आबाद भगवानपुरा पोस्ट चिपलाटा वाया गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
7. सन्तोष पुत्री रामकुवार पत्नी ख्यालीराम जाति मीणा निवासी हाल आबाद भगवानपुरा पोस्ट चिपलाटा वाया गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 18–09–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06–02–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 117 के खसरा नंबर 1908/1735, 1909/1735 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है. में वादी के 1/8 हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 1 का 7/8 हिस्से की भूमि खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./20/1412 दिनांक 21–08–2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/20

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner